

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 148
02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

148. श्री बी.बी. पाटील:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने छात्रों को व्यावसायिक अध्ययन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना प्रायोजित की है और यदि हाँ, तो उन छात्रों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड क्या है; और
- (ख) क्या इस्पात संयंत्रों के आस-पास रहने वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए चयन में प्राथमिकता दी जाएगी और यदि हाँ, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत सेल संयंत्रों और खानों की परिधि में रहने वाले युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईआईटी) में विभिन्न व्यवसायों जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिस्ट, टर्नर, इत्यादि में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित करता है।

इन आईआईटी प्रशिक्षणों में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड मैट्रिकुलेशन और अभिभावकों की वित्तीय स्थिति है। इस्पात संयंत्रों और खानों की परिधि में निवास करने वाले जरूरतमंद मैट्रिक पास छात्रों को उनके आईआईटी प्रशिक्षण के लिए प्रायोजन हेतु चयन में प्राथमिकता दी जाती है।
